250

640
3060/C/S
23/5/14

उ0प्र0 शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग।
संख्या–833 /69–1–14–14(104)/2013
लखनऊ : दिनांक : 23 मई, 2014

कार्यालय–ज्ञाप

आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 12 वीं पंचवर्षीय योजना में शहरी गरीबों को आजीविका उपलब्ध कराने और उनके सशक्तीकरण हेतु राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन (एन.यू.एल.एम.) प्रारम्भ किया गया है। मिशन के उपघटक के रूप में शहरी बेघरों को सम्मान पूर्ण जीवन यापन हेतु, उनके लिए आश्रय की योजना (एस.यू.एच.) प्रारम्भ की गई है।

2– शहरी बेघरों के लिए आश्रय की योजना (Scheme of Shelter for Urban Homeless) (एस.यू.एच.) का मुख्य उद्देश्य शहरी बेघर गरीबों को बुनियादी सुविधाओं युक्त आश्रय प्रदान करना है। योजना के अन्तर्गत शहरी बेघरों के लिए आश्रय सातों दिन चौबीस घंटे और सभी मौसम के लिए स्थाई रूप से निर्मित किए जायेगे। प्रत्येक आश्रय, 50 से 100 व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा जिसमे प्रत्येक व्यक्ति हेतु कम से कम 50 वर्ग फिट का स्थान उपलब्ध कराया जायेगा। ऐसे आश्रयों में जलापूर्ति, स्वच्छता, विद्युत, रसोई/खाना बनाने का स्थान, स्नानागृह सामान्य मनोरंजन स्थल, सुरक्षा जैसी बुनियादी सामान्य सुविधाऍ प्रदान की जायेगी। इसके साथ ही आंगनवाडी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के साथ संपर्क, बाल परिचर्या सुविधाएं और अन्य सामाजिक सहायता कार्यक्रम भी सुनिश्चित कराए जायेगे।

3– राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एन0यू0एल0एम0) के अन्तर्गत शहरी बेघरों के लिये आश्रय की योजना (स्कीम आफ शेल्टर फार अरबन होमलेस) के प्रचलनात्मक दिशा–निर्देश के प्रस्तर–10 में यह प्राविधान किया गया है कि ऐसे आश्रय गृहों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) तैयार की जायेगी। डी0पी0आर0 की स्वीकृति हेतु प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति का गठन किया जायेगा।

4– उक्त योजना के दिशा–निर्देशों के अनुसार प्रस्तावों/परियोजनाओं पर विचार और अनुमोदन हेतु शहरी बेघरों के लिये आश्रय की योजना (एस0यू0एच0) के अन्तर्गत राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

क्र.सं.	पदनाम	सदस्यता
1	प्रमुख सचिव/सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग	अध्यक्ष
2	सचिव, नगर विकास	सदस्य
3	सचिव, नियोजन विभाग	सदस्य
4	सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	सदस्य
5	सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन	सदस्य
6	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार का प्रतिनिधि	सदस्य
7	निदेशक, स्थानीय निकाय	सदस्य
8	वित्त नियंत्रक, सूडा/राज्य मिशन एन0यू0एल0एम0	सदस्य
9	राज्य मिशन निदेशक, एन0यू0एल0एम0	सदस्य संयोजक

JD/PD
23/5/14
संयुक्त निदेशक
26.5.14

उक्त समिति द्वारा योजना से संबंधित परियोजनाओं पर विचार कर संस्तुति राज्य शहरी आजीविका मिशन (एस.यू.एल.एम.) को प्रस्तुत की जायेगी।

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव।

संख्या–833 (1)69–1–14–14(104)/2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0
2. विशेष कार्याधिकारी, मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
4. सचिव, आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
9. प्रमुख सचिव, श्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
10. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
11. प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12. प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0 शासन।
13. प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
14. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ0प्र0 शासन।
15. निदेशक, स्थानीय निकाय, उ0प्र0 लखनऊ।
16. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्रांक–4308/241/एसजेएसआरवाई–एनयूएलएम/तीन/2001,दिनांक 31.03.2014 के सन्दर्भ में।
17. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
18. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0।
19. समस्त नगर आयुक्त/अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उ0प्र0।
20. समस्त महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, उ0प्र0।
21. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
22. समस्त जिला आपूर्ति अधिकारी, उ0प्र0 ।
23. समस्त परियोजना अधिकारी/सहायक परियोजना अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
24. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
22.5.14
(एच0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।